(117)

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

मध्य प्रदेश ₹ 20

श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश

नि/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/1541 प्रकरण क्रमांक........../2018 निगरानी

आवेदकगण-

1. औकेश पुत्र श्री ग्यासीराम
2- प्रमोद पुत्र श्री ग्यासीराम
3- पवन नाबालिक पुत्र श्री ग्यासी राम सरपरस्त मां गीता
4- प्रीति पुत्री श्री ग्यासीराम पत्नी रामवीर निवासी ग्राम नोहरी तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी

विरुद्ध

अनावेदकगण – 1. महिला अनीता पुत्री ग्यासी राम पत्नी राजकुमार जाति नाई निवासी ग्राम मचा कला तहसील पोहरी जिला शिवपुरी हाल निवासी ग्राम शिवपुरी तहसील कराहर जिला शिवपुरी,

2. महिला रचना पुत्री श्री ग्यासी राम पत्नी शौकीन जाति नाई निवासी ग्राम मचा कला तहसील पोहरी जिला शिवपुरी हाल निवासी भदरौली तहसील पोहरी जिला शिवपुरी.

3. मध्यप्रदेश शासन

श्री सूरज प्रताप सिंह द्वारा आज दि. 27-2-18 प्रस्तुत। प्राथमिक तर्क हेतु नियत 22-3-18 ... 27-2-18 ... राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

27/02/18

पुनरीक्षण धारा 50 अंतर्गत भू राजस्व संहिता 1959, विरुद्ध आदेश दिनांक 30-01 2018 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश. P/A

1- यह कि आवेदकगण औकेश, प्रमोद, पवन एवं प्रीति, ग्यासी राम के पुत्र व पुत्रियां हैं जो ग्यासी राम की पत्नी श्रीमती गीता से उत्पन्न संताने हैं तथा अना वेदिका महिला अनीता व रचना ग्यासी राम की पहली पत्नी से उत्पन्न संताने हैं ग्यासीराम ने अपनी पहली पत्नी के मरने के उपरांत महिला गीता से शादी की थी.

2- यह की ग्राम मचा कला तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में ग्यासीराम की पुश्तैनी संपत्ति सर्वे क्रमांक- 45,46,168,693,869/2,670,624 कुल किता 7 कुल रकबा 2.47 हेक्टेयर थी तथा एक संपत्ति प्लॉट ग्राम सोनपुरा के सर्वे क्रमांक 4 में 25*40 वर्गफुट में बना रियायसी चार कमरे का मकान था जिसकी वसीयत ग्यासी राम ने आवेदक औकेश, प्रमोद एवं पवन के हित में दिनांक 6-07 2015 को समक्ष का वाहन श्री मांगेराम गुप्ता (नोटरी /एडवोकेट) पोहरी जिला शिवपुरी के यहां संपादित की थी, वसीयत की फोटो प्रति प्रदर्श **P/1** संलग्न है.

3- यह कि ग्यासी राम की मृत्यु हो जाने के उपरांत वसीयतनामे के आधार पर उक्त संपत्ति का नामांतरण हेतु एक आवेदन आवेदकगणों द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार परगना शिवपुरी जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रमांक 07/2016-17अ-6 पर दर्ज हुआ जहां श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय द्वारा वसीयत का विचारण किया तथा वसीयत साक्षी मातादीन शर्मा व गीता के कथन

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/1441

औकेश आदि विरूद्ध महिला अनीता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री सूरजप्रताप सिंह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग पोहरी, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 40/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–01–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	